न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 240/2019
GCMS NO. : 2019/00202

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. रेखा देवी पत्नि स्व. गिरधारी 2. हीमाशी पुत्र स्व. गिरधारी 3. दीक्षित पुत्र स्व. गिरधारी जातियान सिरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण।		1. नारायणलाल पुत्र मंगाराम जाति सिरवी निवासी आगेवा तहसील जैतारण। 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 05/11/2019

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र सिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/07/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 63 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 475 रकबा 47 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 417 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा चाही दोयम, खसरा नम्बर 439 रकबा 32 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 440 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 441 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मु, बेरा, खसरा नम्बर 455 रकबा 77 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 456 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मु., खसरा नम्बर 457 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 458 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 459 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 460 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 461 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम की आई हुई है। जो सायला के पति की पैतृक पुश्तैनी है जो सायला के पति के पिता के हक हिस्से व अधिकार निहित है सायला के पति का देहान्त 02 वर्ष पूर्व हो चुका है तब से सायला विधवा जीवन व्यथित कर रही है तथा जमाबंदी की [illegible] पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में गैरसायल संख्या [illegible] रेखा का ससुर तथा हीमांशी व दीक्षित का दादा है जो एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की अभिवक्त सम्पति [illegible] साथ ही सायला [illegible] अपने पिता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गिरधारी ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत विधिक वारिसान है होने से उक्त सम्पति में अपने पैतक पुश्तैनी हक अधिकारो के तहत अपने हक अधिकार निहित रखते है लेकिन वर्तमान में वर्णित खसरा भूमि में राजस्व रेकर्ड गैरसायल संख्या 01 के नाम दर्ज है। सायला के पति के देहान्त के बाद से ही सायला एवं उनके बच्चो के भरण पोषण एक मात्र जरिया उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से अपने हक हिस्से की सम्पति पर काबिज है तथा उपयोग उपभोग से ही चल आ रहा है अन्य सायला के पास भरण पोषण का कोई जरिया नहीं है तथा उक्त सम्पति कृषि भूमि में सायला के साथ उनके बच्चों का उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने से अपने पिता के साम्पैतिक अधिकारो के तहत उनका भी हक अधिकार है तथा उक्त सम्पति में सायला भी अशंदाही हकदार है तथा सायला का भविष्य उक्त अपने हक हिस्से की सम्पति पर ही निर्भर है तथा सायला सभी के विधिक वारिसान है तथा माफिक हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के तहत उक्त आराजी में सायला को बाई बर्थ (जन्मत) हक अधिकार प्राप्त है। गैरसायल संख्या 01 वृद्ध व्यक्ति है तथा सायला व उनके बच्चो को उनसे साम्पैतिक अधिकारो से महरूम करना चाहता है तथा अन्य रिश्तेदार एवं परिवार के सदस्यो व दलालो के बहकावे में आकर उक्त सम्पति में से सायला को नुकसान पहुंचाने की नियत से अन्य लोगो के सिकावट में आकर बिना किसी जायज जरूरत के उक्त आराजी को बैचान हस्तान्तरण रहन बक्शीश करने की योजना बना रहा है तथा आमादा है। गैरसायल संख्या 01 भूमाफिया एवं अन्य रिश्तेदार के बहकावे में आकार उक्त सम्पति मे से अपने हक हिस्से की सम्पति बैचान हस्तान्तरण रहन बक्शीश वसियत आदि अन्य व्यक्ति को कर देता है सायला के भूखे भरने की नौबत आ जायेगी तथा सायला भूमिहीन हो जायेगी तथा ऐसे अवैधानिक तथा अपने हक अधिकारो से वंचित हो जायेगी। इसलिये बैचान हस्तान्तरण ,रहन, बक्शीश इत्यादि को रूकवाने के लिये सायला अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। दिनांक 26.09.2019 को गैरसायल संख्या 01 ने अन्य रिश्तेदारो एवं भूमाफिया दलालो बहकावे में आकर बिना किसी जायज जरूरत के सायला को ऐलानिया कथन किया की उपरोक्त वर्णित आराजी मे से मेरा सम्पूर्ण हिसा एवं भू. भाग किसी अन्य व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण करके ही रहूंगा तथा तुम्हे कुछ नही दूंगा मेरे जीवित रहते तुम्हे एक इंच जमीन भी नही दूंगा तथा नही जमीन मेरे नाम रखूगा तथा तुम्हे बर्बाद करके ही रहूंगा सायला ने समझाईस की तथा हाथाजोड़ी की परन्तु गैरसायल संख्या 01 नही माना जिस पर तहसीलदार साहब जैतारण को प्रार्थना पत्र भी इस आशय का पेश किया तो नहीं माने तथा अपने हक अधिकारो के तहत न्यायालय से आदेश लेकर आओ इस दरम्यान अगर गैरसायल संख्या 01 अपने इन नापाक इरादो में कामयाब जाता है या उक्त सम्पति को रहन बैचान, बक्शीश अन्य हस्तान्तरण अन्य रिश्तेदारो के बहकावे में आकर दे देता है तो सायला को अक्षीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर [illegible] तथ्यो परिस्थितियो दस्तावेज सायलान के पक्ष में बहुत ही [illegible] प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रत्येक सूरत में सायल के [illegible] में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी फरमावें सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 63 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 475 रकबा 47 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 417 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा चाही दोयम, खसरा नम्बर 439 रकबा 32 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 440 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 441 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मु. बेरा, खसरा नम्बर 455 रकबा 77 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 456 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मु., खसरा नम्बर 457 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 458 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 459 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 460 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 461 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम के पति की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में को गैरसायल संख्या 01 द्वारा किसी अन्य को हस्तान्तरण करने, रहन, बक्शीश इत्यादि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा साथ ही सायला द्वारा उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने पर गैरसायलान द्वारा बाधा अड़चन या अन्य किसी भी प्रकार से परेशानी करे तो उसे प्रार्थना पत्र के मूल निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें की इस्तदुआ की है।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किया गया। गैरसायल की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि का गैरसायल खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में गैरसायल के नाम इन्द्राज है गैरसायल उक्त भूमि को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग एवं काम में लेने हेतु विधि द्वारा अधिकृत है। जवाब देहन्दा के जीवनकाल में किसी भी विधिक वारिसान को हक व अधिकार उक्त भूमि उत्पन्न नही होते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन आंशिक रूप से स्वीकार है उक्त भूमि में जवाब देहन्दा के जीवनकाल मे सायलान के कोई भी हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा जो वंश वंशावली दर्शित की गई है वो भी अपूर्णीय है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में दर्ज कथन पूर्णयता गलत व झूठे एवं मनमाने अंकित किये है सायला व उसका पति शुरू से ही मैसूर निवास करते थे और वही पर उसके पुत्र गिरधारी का व्यापार था एवं मकान व दुकान स्थित थी जिसका उपयोग उपभोग सायलान कर रहे है। उक्त भूमि में जवाब देहन्दा के जीवनकाल में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि जवाब देहन्दा जीवित है एवं उसके [illegible] के पश्चात ही सायलान एवं अन्य वारिसान के हक व अधिकार [illegible] होंगें। इससे पूर्व सायलान को उक्त भूमि में कोई भी हक अधिकार [illegible] होते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 पूर्णतया गलत झूठा व मनमाना व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में दर्ज कथन गलत व झूठे है गैरसायल संख्या 01 कभी भी उक्त भूमि को रहन बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी नही दी एवं सायला द्वारा इस पद में भूखे मरने की नोबत आने के कथन प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से अंकित किये सायला मैसूर में निवास करती है एवं वहां पर जवाब देहन्दा के दुकान व मकान का उपयोग उपभोग कर अपना जीवनयापन कर रही है। गैरसायल उक्त भूमि का खातेदार है इस कारण उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में दर्ज कथन प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे अंकित किये है जवाब देहन्दा ने उक्त भूमि को रहन बैचान व अन्य हस्तान्तरण करने की धमकी नही दी है। सायला उक्त पद में तमाम कथन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने की गरज से अंकित किये है। जब सायला का गैरसायल संख्या 01 के जीवनकाल में कोई हक व अधिकार उक्त भूमि उत्पन्न ही नही होते है तो असीम हानी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से जन्म से निहित हक अधिकारों की घोषणा हेतु वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थीया रेखा एवं प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 स्वर्गीय गिरधारी की क्रमशः पत्नी व पुत्री एवं पुत्र है तथा स्वर्गीय गिरधारी अप्रार्थी संख्या 1 नारायणलाल का पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भी सह–खातेदार है एवं वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। मूल वाद के अनुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक–अधिकार निहित होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भॉति साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुका है, अतः पैतृक आराजी के सम्बंध में प्रत्येक वारिसान के पक्ष में जन्म से उसके हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया मामला [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुके है। प[illegible]जात के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के पिता मंगाराम का नाम अभिलिखित है तथा प्रार्थीगण [illegible] वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से उसमें अपने हक अधिकार निहित होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता एवं सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब होगा जिससे प्रार्थीगण को निश्चित ही अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 63 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 475 रकबा 47 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 417 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा चाही दोयम, खसरा नम्बर 439 रकबा 32 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 440 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 441 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मु॰ बेरा, खसरा नम्बर 455 रकबा 77 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 456 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मु., खसरा नम्बर 457 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 458 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 459 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 460 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 461 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को खुले–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested